



2026:AHC:17238

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 46132 सन् 2025

केदार

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अशोक कुमार यादव, श्वेता सिंह अत्रे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रकरण में पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने एवं इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन नहीं रह जाता। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण इस आदेश से व्यथित अनुभव करें, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. प्रस्तुत याचिका में याचीगण द्वारा माँगी गई मूलभूत राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, उप-खंड दंडाधिकारी, घोसी, जिला मऊ को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 10066 वर्ष 2025, कंप्यूटरकृत वाद संख्या 202515510210066 को शीघ्रता से निर्णीत करें।
4. याचीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रस्तुत याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि संबंधित न्यायालय उपरोक्त वाद को विधि के अनुसार निर्णीत करे तथा जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।